डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **284 / 2021** दायर दिनॉक **29.09.2021**

वादी

1. हीराराम पुत्र पोकरराम जाति राईका निवासी पावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मीसाराम पुत्र किरताराम
2. निम्बाराम पुत्र किरताराम
3. पेमाराम पुत्र किरताराम
4. प्रभूराम पुत्र गायडा
5. रामदेव पुत्र गायडा
6. रूपाराम पुत्र स्व. पोकरराम
7. मूलाराम पुत्र स्व. पोकरराम
8. गिरधारीराम पुत्र स्व. पोकरराम
9. गंगाराम पुत्र स्व. पोकरराम
10. मांगी पुत्री स्व. पोकरराम
11. धाईदेवी पत्नी स्व. पोकरराम
12. पप्पूदेवी पत्नी हीराराम समस्त जाति राईका निवासी पावा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)
13. मेनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा डीडवाना
14. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा रास्ता
अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादी।
2. श्री मो. इकबाल प्रतिवादी संख्या 4, 5 की ओर से
3. श्री विक्रम कुडी प्रतिवादी संख्या 1, 8 ता 12 की ओर से
4. श्री मो. अली शेरानी प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से
5. श्री मनफूल खां प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से

दिनॉक **08.04.2025**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादी की आरे से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है दावा डिक्री सादिर कर खेत खसरा संख्या 1165 / 37 रकबा 0.57 है. खसरा संख्या 34 रकबा 10.83 है. खसरा संख्या 37 रकबा 0.16 है में आने जाने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के खेत खसरा संख्या 46, 1123 / 952, 47 / 952, 47, 38 में नजरी नक्शा के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. से दर्शाया अनुसार रास्ते को राजस्व रेकर्ड में कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज.........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत...................–...............

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **08.04.2025** को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:46:07 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:46:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **284 / 2021** दायर दिनाँक **29.09.2021**

वादी

1. हीराराम पुत्र पोकरराम जाति राईका निवासी पावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मीसाराम पुत्र किरताराम
2. निम्बाराम पुत्र किरताराम
3. पेमाराम पुत्र किरताराम
4. प्रभूराम पुत्र गायडा
5. रामदेव पुत्र गायडा
6. रूपाराम पुत्र स्व. पोकरराम
7. मूलाराम पुत्र स्व. पोकरराम
8. गिरधारीराम पुत्र स्व. पोकरराम
9. गंगाराम पुत्र स्व. पोकरराम
10. मांगी पुत्री स्व. पोकरराम
11. धाईदेवी पत्नी स्व. पोकरराम
12. पप्पूदेवी पत्नी हीराराम समस्त जाति राईका निवासी पावा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)
13. मेनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा डीडवाना
14. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा रास्ता
अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादी।
2. श्री मो. इकबाल प्रतिवादी संख्या 4, 5 की ओर से
3. श्री विक्रम कुडी प्रतिवादी संख्या 1, 8 ता 12 की ओर से
4. श्री मो. अली शेरानी प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से
5. श्री मनफूल खां प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **08.04.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा पावा पटवार हल्का पावा के नये खेत खसरा संख्या 1165/37 रकबा 0.57 है. खसरा संख्या 34 रकबा 10.83 है. खसरा संख्या 37 रकबा 0.16 है. वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 की पैत्रिक व सामलांती खातेदारी के खेत है। वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 अपने उक्त खेतों में आने जाने अपने पशुओं को पानी पिलाने लाने व ले जाने व गाडी छाकडा आदि लाने–ले जाने हेतु पीढियों से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के खेत खसरा संख्या 46, 1123/952, 47/952, 47, 38 में से खसरा संख्या 1122/952 गै.मु. रास्ता को कोस करता हुआ वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. रास्ता बहता है जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 के पूर्वजों से लेकर आज तक उपयोग उपभोग करते आये है। उक्त रास्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 के खेतों व दस पक्की ढाणियों तक जाता है जो पीढियों से बहता है मगर उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में कटाणी नहीं होने से वादी नजरी नक्शे के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. रास्ते को राजस्व रेकर्ड में कटाणी रास्ता दर्ज करवाना चाहता है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 के पूर्वज पोकरराम ने प्रतिवादी गण संख्या 1 ता 5 व उनके पूर्वजों द्वारा दिनांक 03.08.2005 को उपरोक्त रास्ता गांव पावा से वादी के खेत खसरा संख्या 1165/37 रकबा 0.57 है., खसरा संख्या 34 रकबा 10.83 है0 खसरा संख्या 37 रकबा 0.16 है. में आने जाने व दस पक्की ढाणियों का रास्ता बंद कर देने पर पोकरराम द्वारा एक दावा बाबत घोषणा रास्ता व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय [illegible] वाद बनुवान पोकरराम बनाम गायडराम वगै. मु. संख्या 05/2005 व 20/2010 [illegible] के खिलाफ पेश किया था जिसका निर्णय वादी के पक्ष में न्यायालय [illegible]। जिसमें प्रतिवादीगण को आदेश दिया गया था कि वा[illegible] रास्ता जिसे नज[illegible] के मार्क एबीसीडी से दर्शित किया गया है में बिना विधिक प्रकिया [illegible] किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें तथा मामला रेवन्यु का होने से रास्ते की घोषणा नहीं की [illegible]। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने दिनांक 17.07.2021 को वादी की ढाणी तक कंटीली छलडियों से रास्ते का जबरदस्ती बंद कर दिया है और वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 का आवागमन बंद कर दिया। जिसे वादी द्वारा पुलिसथाना खुनखुना में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस द्वारा मौके पर समझाईस कर खुलवाया गया। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 बार–बार रास्ते को बंद करने के धमकी दे रहे है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वज

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

किरताराम व वादी के पुर्वज पिता पोकरराम के बीच रास्ते बाबत इकरारनामा दिनांक 30.09.1994 में हुआ था। तथा खसरा संख्या 38 में सरकारी होद बना हुआ है जिसमें पचास ढाणियों के लोगों का उक्त होद से पानी ले जाने का वादी के नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. आम रास्ता है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:–

मौजा पावा पटवार हल्का पावा में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 के खेत खसरा संख्या 1165/37 रकबा 0.57 है. खसरा संख्या 34 रकबा 10.83 है. खसरा संख्या 37 रकबा 0.16 है में आने जाने अपने पशुओं को पानी पिलाने लाने व ले जाने व गाडी छाकडा आदि लाने–ले जाने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के खेत खसरा संख्या 46, 1123/952, 47/952, 47, 38 में से रास्ता बहता है जो वादी के नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. से दर्शाया गया रास्ते को राजस्व रेकर्ड में कटाणी रास्ता घोषित किये जाने की वादी इस्तदुआ कर रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 3, 7, 13 ता 14 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। शेष प्रतिवादीगणों की ओर जवाब पेश न करने पर जवाब बंद किया गया।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात में खतौनी संवत् 2074 से 2077, नक्शा ट्रेस, खसरा मिलान, माननीय सिविल न्यायालय डीडवाना के मु. सं. 20/2010 (5/05) की प्रति पेश की।

प्रकरण में बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद के समर्थन दोहराते हुए बताया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 के खेत खसरा संख्या 1165/37 रकबा 0.57 है. खसरा संख्या 34 रकबा 10.83 है. खसरा संख्या 37 रकबा 0.16 है में आने जाने अपने पशुओं को पानी पिलाने लाने व ले जाने व गाडी छाकडा आदि लाने–ले जाने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के खेत खसरा संख्या 46, 1123/952, 47/952, 47, 38 में से रास्ता बहता है जो वादी के नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. से दर्शाया गया रास्ते को राजस्व रेकर्ड में कटाणी रास्ता घोषित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से बार–बार बंद करने की धमकी दी जाती है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा भी मुकदमा संख्या 05/2005 व 20/2010 में जारी आदेश में प्रतिवादीगण को आदेश दिया गया था कि वाद ग्रस्त रास्ता जिसे नजरी नक्शा के मार्क एबीसीडी से दर्शित किया गया है में बिना विधिक प्रकिया अपनाये वादी के आवागामन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। अतः वादी के उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाना आवश्यक है।

बहस पर मनन किया व रेकर्ड का अवलोकन किया गयां। मौजा पावा में वादी खेत खसरा संख्या 1165/37 रकबा 0.57 है. खसरा संख्या 34 रकबा 10.83 है. खसरा संख्या 37 रकबा 0.16 है में आने जाने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के खेत खसरा संख्या 46, 1123/952, 47/952, 47, 38 में नजरी नक्शा के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. से दर्शाया अनुसार रास्ते को राजस्व रेकर्ड में कटाणी रास्ता घोषित करने की वादी इस्तदुआ कर रहा है। वादी द्वारा चाहे गये उक्त रास्ते पर माननीय सिविल न्यायालय द्वारा भी प्रतिवादीगणो को आवागमन में बाधा नहीं करने हेतु आदेश जारी किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वज किरताराम व वादी के पुर्वज पिता पोकरराम के बीच दिनांक 30.09.1994 को रास्ते का इकरार भी हुआ है। अतः उक्त साक्ष्यों के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शाया गया रास्ता कदीमी भी होना प्रतीत होता है। वादी केवल उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अंकन करवाना चाहता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

खेत खसरा संख्या 1165/37 रकबा 0.57 है. खसरा संख्या 34 रकबा 10.83 है. खसरा संख्या 37 रकबा 0.16 है में आने जाने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के खेत खसरा संख्या 46, 1123/952, 47/952, 47, 38 में [illegible] जी. से दर्शाया अनुसार रास्ते को राजस्व रेकर्ड में कटाणी रास्ता घोषित किया जा[illegible] द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। त[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:46:07 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉंक 08.04.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना